

(Handwritten signature)

आज दिनांक 20-08-2025 को अभिभावक प्राथीगण की बहस सैनी गयी एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, जमाबंदी संवर्ग 2076 से 2079 ग्राम लैलास 40हठ लैलास 40अ0निरीक्षक लैलास तहसील शाहपुरा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्राथी वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 0.63 है 0 कूल किता 1 रकबा 0.63 है 0 का अमिनिस्त्रिड खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सकें एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगावा सकें ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सकें। अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार

किया गया। अप्राथीगण से. बावजूद सम्मन सूचना अनपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किया गया। प्राथी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर दिया गया। विपक्षीगण को वास्तु जवाब प्रार्थना पत्र तलब पत्रागोही करवाये जाने हेतु न्यायचिंत में आदेश फरमावे।

प्राथी की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानों पर पत्थर लगाये जाकर सीमाओं की पुख्ता जानकारी की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता 1 रकबा 0.63 है 0 की पत्रागोही कर करवाये जाने बाबत शीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः ग्राम लैलास 40हठ लैलास 40अ0निरीक्षक लैलास तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि का सीमांकन कर नापवोप कर सीमा का विवाद है। इसलिए प्राथी की उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि का सीमांकन कर नापवोप कर विपक्षीगण द्वारा सीमा का लेकर विवाद किया गया। इस प्रकार प्राथी एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की पर सीमा का लेकर विवाद करते हैं। प्राथीगण दिनांक 05.12.2024 को अपनी आराजियात पर गये तो है जो आद्य दिन फसल काहत करते समय व फसल काटते समय एवं मंजूरी की वास काटते समय मौके कृषि भूमि प्राथी का खातेदार की स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी लैलास तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नंबर 124 रकबा 0.63 है 0 कूल किता 1 रकबा 0.63 है 0 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम लैलास 40हठ लैलास 40अ0निरीक्षक वकील मय प्राथी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम लैलास 40हठ लैलास 40अ0निरीक्षक दिनांक : 20-08-2025

-- निर्णय --

1. श्री अनिल कुमार शर्मा : अभिभवता प्राथी

उपस्थित :-

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्व अधिनियम, 1956
तारीख रज : 01-07-2025

-विपक्षीगण-

- 1- कानसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत निवासी लैलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- रामवरुण पुत्र मोहन बेरवा निवासी रामपुरा लैलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

बनाम

-प्राथी-

रामसिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत निवासी लैलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

पीठस्थान आधिकारी : सैनील कुमार शीमा, आर0ए0एफ0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 84/2025
जो0सी0एफ0एफ0 संख्या : 2025/124

न्यायालय, उपखण्ड आधिकारी एवं पदेन में अभिलेख आधिकारी, शाहपुरा (जिला-भीलवाड़ा) राज0

करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को प्रार्थी की खातेदारी की उक्त वर्तित आराजियात का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थी के खर्च पर प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विहिंसगत एवं उचित समझती है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 मसिमाति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थी की खातेदार आराजी ग्राम गूलंस 40हठ 0.63 है 0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए सीमांकन करे तथा प्रार्थी की आराजी का प्रार्थी के व्यय पर प्रार्थी पर पत्थरगढी करवाए/वक्त कारवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार, शाहपुरा को पालनाथ तहशिर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर रफतार दालिखत हो।

निर्णय आज दिनांक 20-08-2025 को सरे इजलास सुनाया गया



प्रतिनिधि :- शाहपुरा जिला शाहपुरा के पास भूलकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भीजावे।

(सुनील कुमार शीवा)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा